न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक

नम्बर मुकदमा – 157/2023 **निर्णय दिनांकः–** 04-03-2024

जसकरण सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 बलवीर कौर पत्नी गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 करमजीत कौर पुत्री गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 सुखविन्द्र कौर पुत्री गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

4 राजपाल कौर पुत्री गुरदीप सिह जाति जटसिख सा. रूफाला तह. गिदडबाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब

5 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादी

श्री चरणजीत सिह सिद्धू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादी एवं प्रति स. 1 ता 4 एक ही सुयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। वादी के पिता गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम चक 14 एम.जे. डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070-[illegible] चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह [illegible] 2070-73 [illegible] राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी गुरजन्ट [illegible] पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह फौत हो गया है।गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादी तथा प्रति स. 1 ता 3 व अमरजीत कौर पुत्री गुरजन्ट सिह की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादी व प्रति स. 1 ता 3 व अमरजीत कौर पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 16:06:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

गुरजन्ट सिह का जन्म से ही ब.हि.ब. का विरासतन हक व हिस्सा बनता है।किन्तु अमरजीत कौर पुत्री गुरजन्ट सिह पत्नी गुरदीप सिह फौत हो गई है। जिसकी वारिस प्रति स. 4 ही है। प्रति स. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स.1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। उक्त आराजी का वादी ही हकदार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिकी वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है।वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादी को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्ताकर होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादी नाम से अंकन अलग कायम करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादी के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।अतः चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज. स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 आराजी मे गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः राजस्व रिकार्ड में चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 में गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त खाते से गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 5 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रतिस. 1 ता 4 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है।चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 आराजी मे गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है।उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः राजस्व रिकार्ड में चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 में गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kun
Meena
Date: 2024.03.28 15:06:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जावे व उक्त खाते से गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह का नाम कलमजन किया जावे।वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 व 2 है।वादी के वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 आराजी मे गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है।अतः राजस्व रिकार्ड में चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21/15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20/14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 में गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त खाते से गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह का नाम कलमजन किया जावे। निज.........X......... मुब्लिक.........X......... बाबत.........X.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ......X...... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 04-03-2024 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(राकेश कुमार मीना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

जसकरण सिह पुत्र गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 बलवीर कौर पत्नी गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 करमजीत कौर पुत्री गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 सुखविन्द्र कौर पुत्री गुरजन्ट सिह जाति जटसिख सा. अमरपुरा जालू तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 राजपाल कौर पुत्री गुरदीप सिह जाति जटसिख सा. रूफाला तह. गिदडबाहा जिला श्रीमुक्तसर साहिब
5 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्दू – अधिवक्ता वादी
श्री चरणजीत सिह सिद्दू – अधिवक्ता प्रति स. 1 ता 4

मु. स . 157 / 2023 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्दू एड. वादी व श्री चरणजीत सिह सिद्दू एड. प्रति स. ता 4 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21 / 15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20 / 14 खाता गुरजंट सिह ज.स. 2070–73 आराजी मे गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नही है ।अतः राजस्व रिकार्ड में चक 14 एम.जे.डी. खाता स. 21 / 15 खाता गुरजन्ट सिह ज.स. 2070–73 व इसी चक के खाता स. 20 / 14 खाता गुरजंट सिह ज. स. 2070–73 में गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह के नाम दर्ज समस्त आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व उक्त खाते से गुरजन्ट सिह पुत्र उजागर सिह का नाम कलमजन किया जावे।
निज.......X........ मुब्लिक.......X........ बाबत.......X........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....X..... को अदा करें।
बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक........................ / को जारी की गई।
नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो .... डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.28 15:06:02 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official